



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 494) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

1E 5 u0fo0@xBu&27@2020&953/uEfoE ,o vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सीमामद्धी जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत जनकपुर रोड को नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4375 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् के रूप में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् जनकपुर रोड	पुपरी-151 बेलमोहन-149 सिंगियाही-180 जैतपुर-183 झंझिहट-184 हरदिया-185 गाढ़ा-156 बेलमोहन-152 बेदौल-182	पुपरी (पूर्ण भाग) झंझिहट, हरदिया, गाढ़ा एवं रामनगर बेदौल (आंशिक)	उत्तर-बेदौल-182 दक्षिण-पुपरी-151 पूरब-हरदिया-185 पश्चिम-बिरौली-153	42014

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् जनकपुर रोड कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
vjfoUn dekj >k]
ljdkj d l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 494-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>